(ii) Construction of multipurpose cargo berth;

(iii) Development of port facilities for export of iron ore;

(iv) Modernisation of Railway facilities;

(v) Replacement of floating crafts.

सड़कों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कमी

2568. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1992-93 में उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई राशि गत तीन वर्षों के दौरान दी गई राशि की अपेक्षा कम है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) संवैधानिक रूप से भारत सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास के लिए ही जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ कर अन्य सभी सड़कों के लिए अनिवार्यत: संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/निर्माण के लिए निधियों का आबंटन बजट में निधियों की कुल उपलब्धता, अखिल भारतीय आधार पर कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता, चल रहे कार्यों पर प्रगति की दर इत्यादि जैसे विभिन्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है। संसाधनों के सामान्य अभाव तथा राज्य में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए जाने वाले संभाविक कम व्यय के कारण उत्तर प्रदेश को चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए किया गया आबंटन पिछल तीन वर्षों के आबंटन की तुलना में कम है।

महानगरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण

2569. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के महानगरों में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण के कारण बच्चों में तेजी से बढ़ती हुई सांस की बीमारियों के बारे में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के विचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करने के लिए क्या क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) हाल ही में सरकार ने दिल्ली और अहमदाबाद में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण/वायु प्रदूषण की सांस का बीमारी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराया है।

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए धुआं उत्सर्जन संबंधी मानक निर्धारित करते हुए अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन मानदंडों को 1995 से और अधिक सख्ती के साथ लागू किया जाएगा जिसके लिए अधिसूचना का प्रारूप पहले ही जारी किया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी है :—

(1) उत्सर्जन खरीद कर और प्रवर्तन के लिए आवश्यक कर्मचारी सुलभ कराके आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना,

(2) वाहनों की जांच और ट्यूनिंग के लिए प्राइवेट वर्कशापों और पेट्रोल पंपों को प्राधिकृत करना,